

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर जिला अलवर

मिसल नं. 2/1/2022

तारीख रजु.....

मिथलेश

बनाम

अजीराम वगैरा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
<p>04.01.2022</p>	<p>वकील प्रार्थी उपस्थित। यह प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वकील प्रार्थी ने मूल वाद के साथ पेश किया। प्रार्थना पत्र की ताईद में वकील सायला ने शपथ पत्र नकल जमाबंदी हाल पेश की व अप्रार्थीगण को पाबंद कराने का निवेदन किया वकील सायल को एक पक्षीय सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति सायल के पक्ष में बखूबी सावित है।</p> <p>अतः अप्रार्थीगण को जर्ये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी पेशी/तारीख तक पाबंद किया जाता है कि आराजी खसरा नं0 116, 117, 120, 229, 231, 389, वाके ग्राम नंगला जादू तहसील कठूमर के विवादीत आराजीयात में रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे। चूंकि एक्स पार्टी स्थगन जारी किया जा रहा है ऐसे में अप्रार्थीगण में से किसी के उपस्थित होकर वहस के लिए कहने पर वकिल प्रार्थीगण को अनिवार्यत बहस करनी होगी, अन्यथा एक्सपार्टी स्थगन स्वतः निरस्त समक्षा जावे।</p> <p>अप्रार्थीगण को नोटिस हो कि उक्त आदेश बाबत कोई उज्र हो तो दिनांक 13.01.2022 को पेश करें कि क्यों ना उक्त आदेश को दावा के निर्णय तक स्थाई कर दिया जावे। अप्रार्थीगण जरिये रजि0 डाक नोटिस तलब हो पत्रावली दिनांक 13.01.2022 को वास्ते तलबी अप्रार्थीगण पेश हो।</p>	<p>उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)</p> <p>वकील प्रार्थी</p> <p>उपस्थित</p> <p>आदेश दिनांक 4/1/22</p> <p>यस पालना में पत्रावली वास्ते 2/1/22</p> <p>दिनांक 26/1/22</p> <p>जो पेश हो अन्तर्गत मौका</p>

- 13/1/22

उपखण्ड अधिकारी  
कठूमर (अलवर)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम हुक्म की तामील में जारी हुए
-------------	------------------------------------	---

26.4.22

वकील ... उपस्थित  
 सार्वजनिक आदेश दिनांक 4.1.22  
 को पालना में प्रत्यक्षी धारो ... नि 0573 के  
 दिनांक 24/6/22 को मया हो ...

24/6/22

वकील ... उपस्थित 1  
 सार्वजनिक आदेश दिनांक 4-1-4  
 को पालना में प्रत्यक्षी धारो ... अतिरिक्त  
 दिनांक 26/8/22 को मया हो ...

26/8/22

वकील ... उपस्थित  
 सार्वजनिक आदेश दिनांक ...  
 को पालना में प्रत्यक्षी धारो ... अतिरिक्त  
 दिनांक 14/11/22 को मया हो ...

14/11/22

वकील ... उपस्थित  
 सार्वजनिक आदेश दिनांक ...  
 को पालना में प्रत्यक्षी धारो ... अतिरिक्त  
 दिनांक 12/1/23 को मया हो ...

17.11.22  
 Not Brought  
...  
 17/11/22

प्रभावली पेश हुई। वकील हाथी उपर।  
 वकील हाथी अपने हाथना फत्र-212 RTI  
 को भौर नही चलाना चाहता है। वकील  
 हाथी ने अपना हाथना-फत्र-212 Not Brought  
 कर दिया है। अतः हाथना फत्र-212 हाथी  
 के वकील के Not Brought में खारिज किया  
 जाता है। हाथना फत्र न० से कम होकर मूल  
 वाद के साथ संलग्न हो सुनाया।

उपस्थित अधिकारी  
 कटकरा (अधीन) राज